Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति मामले में 5 ठिकानों पर तलाशी जारी**
- **करोड़ों रुपयों की चल–अचल सम्पत्तियों के दस्तावेज मिले**

जयपुर, *28 अक्टूबर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. इन्टेलिजेन्स इकाई द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये आय से अधिक सम्पत्ति मामले में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इन्टेलीजेन्स शाखा की आसूचना पर 5 ठिकानों पर तलाशी शुरू की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि राज्य सरकार की "**भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टालरेन्स नीति व भ्रष्ट लोकसेवकों पर प्रभावी कार्रवाई**" के अनुसरण में ब्यूरो मुख्यालय की इन्टेलीजेन्स शाखा की आसूचना पर **रमेश चन्द बराडा, अधिशाषी अभियन्ता,** सार्वजनिक निर्माण विभाग आबूरोड हाल स्थानान्तरण डूंगरपुर के विरूद्ध सत्यापन किया जाकर आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का मामला बनना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 403/2021 दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री नारायण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में इन्टेलीजेन्स शाखा जयपुर की टीम के सहयोग से विभिन्न टीमों का गठन किया जाकर आज सुबह उनके 5 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्राथमिक आकलन के हिसाब से री रमेश चन्द बराडा द्वारा लगभग **10.42 करोड की परिसम्पत्तियां** अर्जित करने का अनुमान है जो उनकी वैध से 334 प्रतिशत अधिक है। श्री बराडा के द्वारा अपनी अवैध आय को क्रेशर माईनिंग व शिक्षण संस्थओं के संचालन में निवेश करना ज्ञात आया है। **श्री कैलाश विश्नोई उपमहानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर** द्वारा कार्रवाई का पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।